न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री राजीव द्विवेदी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या – 1/2017(अपील)
दायर दिनांक– 1.12.2017
फैसल दिनांक – 9.10.18

अनवान

1– श्री रमण पिता वेसात डेण्डोर निवासी सागवाडा
2– श्रीमती केसर पत्नि स्व. वेसात
3– श्री सुभाष पिता वेसात डेण्डोर
4– श्री मनोज पिता वेसात डेण्डोर निवासी सागवाडा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1–श्री कारू पिता वेसात डेण्डोर निवासी सागवाडा
2– श्रीमती कमला पिता वेसात डेण्डोर
3– श्रीमती सन्तोष पिता वेसात डेण्डोर
4– श्रीमती लसी पिता वेसात डेण्डोर
5– श्रीमती दया पिता वेसात डेण्डोर निवासी सागवाडा
6– पटवारी साहब हल्का सागवाडा
7– श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील सागवाडा

(रेस्पोडेण्ट)

वकील अपीलाण्ट –श्री निखिल सोमपुरा
वकील रेस्पोडेंण्ट – श्री अनिरूद्धसिह

अपील नाराजगी नामान्तरकरण संख्या 4165 दिनांक17.11.2014 धारा 75 आर.एल.एल.एक्ट 1956

अपील अपीलाण्ट का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 5 एक ही गांव के है ।अपीलाण्ट के बाप दादों की सम्पत्ति कृषि भूमि गांव सागवाडा में स्थित है जिस पर अपीलाण्ट का कब्जा होकर उसका उपभोग व उपयोग अपीलाण्ट ही करता है । अपीलाण्ट संख्या 1 के पिता वेसात पिता मोगा की मृत्यु दिनांक 10.1.2014 को हो चुकी है । अपीलाण्ट की बाप दादाओं की कृषि भूमिखाता संख्या 1234/1123 के कुल खसरा 15 रकबा 8बीघा 4 बिस्वा मोजा सागवाडा में स्थित है उक्त जमीन अपीलाण्ट के ही जाती के रेस्पोडेण्ट के पिता वेसात पिता मोगा के पूत्र पूत्रियों के नाम खाते में जरिये नामान्तरकरण दर्ज हो गई है । अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के पिता व दादा का एक जैसा ही नाम वेसात पिता मोगा होने से यह त्रूटि हुई है जबकि मौके पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट अपने अपने खेतों पर पूर्वजों के समय से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि उक्त वर्णित भूमि में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के पिता व दादा का एक जैसा ही नाम वेसात पिता मोगा होने से यह त्रूटि हुई है यह बात अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट की जानकारी मे नही है । यह कि रेस्पोडेण्ट के नाम उक्त जमीन का नामान्तरकरण खोला गया है ।

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेण्ट के पिता वेसात पिता मोगा व माता का नाम इटली है और उसकी मृत्यु दिनांक 12.5.1984 है जबकि अपीलाण्ट के पिता का नाम वेसात पिता मोगा व माता का नाम थावरी है जिसकी मृत्यु दिनांक 10.1.2014 है ओंर इन्ही नामों में समानता के कारण रेस्पोडेण्ट संख्या 6 व 7 से नामान्तरकरण दर्ज में भूल हुई है । यह कि अपीलाण्ट वर्तमान में अपनी पुरी जमीन पर खेती करते हैं । जब अपीलाण्ट को अपनी भूमि के विकास आदि कार्य हेतु नामान्तरकरण की आवश्यकता हुई तब जानकारी में आया कि नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज किया गया है ।

अपीलाण्ट द्वारा अपील के अन्त में बापदादाओं की कृषि भूमि खाता संख्या 1234/1123 के कुल खसरा 15 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा मौजा सागवाडा में स्थित है जिसमें अपीलाण्ट के नामा से नामान्तरकरण खोला जाने तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 5 द्वारा खूलवाया गया नामान्तरकरण संख्या 4165 दिनांक 17.11.2014 को निरस्त किया जाने निवेदन किया गया है ।

अपीलाण्ट की ओर से अपील की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए नामान्तरकरण ,जमाबन्दी, मृत्यु प्रमाण पत्र व पास बुक प्रस्तुत की गइ है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जवाब प्रस्तुत करने नोटिस जारी किए गए ।

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 7 का जवाब प्रस्तुत होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट की बहस समायत की गई ।

अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के पिता व दादा का एक जैसा ही नाम वेसात पिता मोगा होने से यह त्रूटि हुई है । रेस्पोडेण्ट संख्या 6 व 7 द्वारा प्रस्तुत जवाब में अपील के तथ्यों को स्वीकार करते हुए वक्त नामान्तरकरण से अमल दरामद में अदला बदली हो जाना बताया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत जवाब तथा बहस पर मनन किया /पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड नामान्तरकरण संख्या 4165 जो कि वैसात के फौत होने से वारिसान के नाम दायर होकर दिनांक 17.11.2014 को प्रमाणित किया गया है एंव इस नामान्तरकरण के जरिये जमाबन्दी में अमल दरामद हुआ है जिसका खाता संख्या 197 है /अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 3.12.2012 में वैसात पिता मोगा की मृत्यु दिनांक 12.8.1984 अंकित होकर माता का नाम इटली अंकित है जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 1.7.2014 मे वेसात पिता मोगा की मृत्यु दिनांक 10.1.2014 अंकित होकर माता का नाम थावरी अकित है जिससे यह प्रमाणित होता है कि मृतक एवं मृतक के पिता का नाम दोनो प्रमाण पत्रों में समान है लेकिन माता का नाम पृथक प्रथक अंकित है । एवं मृतक तथा मृतक के पिता के नाम में समानता होने के कारण रेस्पोडेण्ट के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4165 दर्ज करते समय अपीलाण्ट जो कि वारिसान है के नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं होकर त्रूटि से रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज हो गए है । रेस्पोडेण्ट संख्या 6 एंव 7 पटवारी एवं तहसीलदार सागवाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब में इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए वक्त नामान्तरकरण अदला बदली हो जाना तथा खसरा नम्बर 1231,1191,1194 रेस्पोंडेण्ट के नाम एवं शेष खसरा नम्बर अपीलाण्ट के नाम दर्ज होना बताया है ।

Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 4165 दिनांक 17.11.2014 निरस्त किया जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार रेकार्ड का परिक्षण कर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण एंव रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें ।

आदेशनुसार पालना हेतु तहसीलदार सागवाडा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक .....8.10.19.... को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner